मुख्यांश

मुख्यांश

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का अभिप्राय

राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एन ई जी पी) के मिशन मोड प्रोजेक्ट (एम एम पी) के अंतर्गत एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई एफ एम एस) को विकसित किया गया था, जिसका उद्देश्य कोषागार कार्यप्रणाली की दक्षता बढ़ाना, वित्तीय प्रशासनिक प्रणालियों में पारदर्शिता, बेहतर रोकड़ प्रवाह प्रबंधन, प्राप्तियों एवं भुगतानों का बेहतर लेखांकन, विकसित नियामक तंत्र, राज्य वित्त पर बेहतर नियंत्रण, मजबूत प्रबंधन सूचना प्रणाली, लेखाओं में शुद्धता एवं गति तथा बजट तैयार करना है।

यह निष्पादन लेखापरीक्षा क्यों?

लेखापरीक्षा का आयोजन सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) नियंत्रण, व्यवसायिक प्रक्रियाओं के मानचित्रण और प्रणाली के प्रमुख मॉड्यूलों के क्रियान्वन के संबंध में आई एफ एम एस की प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन प्राप्त करने और मूल्यांकन करने हेतु किया गया था।

लेखापरीक्षा अवधि: 2019-20 से 2021-22

नमूना: 25 में से नौ मॉड्यूल

लेखापरीक्षा में क्या पाया गया?

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा मौजूदा प्रणाली का प्रारंभिक अध्ययन नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) में महत्वहीन एवं पुरानी जानकारी सम्मिलित थी जैसे ई-स्टाम्प के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट मॉड्यूल को डी पी आर में शामिल किया गया था और ई-स्टाम्पिंग प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस एच सी आई एल) के साथ पूर्व समझौते की उपस्थिति के बावजूद भी वेंडर हेतु रिक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल (आर एफ पी) में सम्मिलित किया गया था।

(प्रस्तर 2.2.1(i), पृष्ठ 7)

- राज्य परियोजना ई-मिशन टीम (एस पी ई एम टी), जो कि डी पी आर तैयार करने एवं परियोजना निष्पादन की देख-रेख हेतु जिम्मेदार थी, द्वारा भारत सरकार को प्रेषित करने से पूर्व डी पी आर की समीक्षा नहीं की गई, क्योंकि टीम का गठन भारत सरकार को डी पी आर प्रेषित करने के एक वर्ष पश्चात दिसंबर 2013 में किया गया था।

(प्रस्तर 2.2.1(ii), पृष्ठ 7)

- विभाग द्वारा बिज़ेनस कंटिन्युटी प्लान (बी सी पी), बैकअप योजना, उच्च और निम्न स्तरीय डिजाइन अभिलेखों एवं उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यू ए टी) जैसे कुछ प्रमुख प्रदेयों को सुनिश्चित किए बिना ही वेंडरों को ₹ 32.08 लाख की निर्धारित धनराशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया।

(प्रस्तर 2.2.4, पृष्ठ 10)

- सक्रिय होने के पश्चात, आई एफ एम एस के काम-काज के साथ संरेखित करने हेतु सुसंगत कोषागार एवं वित्तीय संहिताओं को अद्यतन नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 2.2.6, पृष्ठ 14)

- विभाग द्वारा कोई परिवर्तन प्रबंधन नीति तैयार या अपनाई नहीं गयी थी। आई एफ एम एस में परिवर्तन प्रबंधन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना ही किया जा रहा था जोकि आंतरिक नियंत्रण तथा निगरानी की कमी को दर्शाता है।

(प्रस्तर 2.2.7, पृष्ठ 16)

- आई एफ एम एस एवं वित्त विभाग (बजट अनुभाग) के बीच एकीकरण नहीं था जिसके कारण बजट कार्यप्रवाह में पूर्ण स्वचालन की प्राप्ति नहीं हो पाई। आई एफ एम एस के माध्यम से प्राप्ति एवं संशोधित अनुमानों को ऑनलाइन प्रेषित किया जाना सम्भव नहीं था।

(प्रस्तर 3.2.5.1, पृष्ठ 23)

- आई एफ एम एस में बजट के पुनर्विनियोजन को मतदेय से भारित मद में एवं इसके विपरीत तथा राजस्व से पूंजी मद में और इसके विपरीत के पुनर्विनियोजन को रोकने हेतु नियंत्रण का अभाव था। आई एफ एम एस डेटा के विश्लेषण में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजस्व मद से पूंजी मद में ₹ 51.85 करोड़ तथा ऋण मद से राजस्व मद में ₹ 13.87 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया गया था।

(प्रस्तर 3.2.5.2, पृष्ठ 25)

- डेटा विश्लेषण में पाया गया कि आई एफ एम एस में शासनादेशों को लागू नहीं किया गया था तथा प्रत्येक स्तर पर बीजक 30 दिनों से अधिक समय तक लम्बित पाए गए थे।

(प्रस्तर 3.2.6.6, पृष्ठ 32)

- बैंक खाते के विवरण के पूर्व-मान्यकरण हेतु केवल सीमित नियंत्रण उपलब्ध थे। प्रणाली में लाभार्थियों के नाम, आई एफ एस सी एवं लाभार्थी खाता संख्या की शुद्धता की पूर्ण जांच उपलब्ध नहीं थी।

(प्रस्तर 3.2.7.1,पृष्ठ 35)

- भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय स्टेट बैंक एवं कोषागार के बीच भुगतानों के मिलान की प्रक्रिया स्वचालित नहीं थी।

(प्रस्तर 3.2.7.2, पृष्ठ 36)

- महालेखाकार के वाउचर लेवल कम्प्यूटराइजेशन (वी एल सी) प्रणाली तथा आई एफ एम एस डेटा के एकीकरण में कमियाँ पाई गयी थीं।

(प्रस्तर 3.2.9.2, पृष्ठ 39)

- आई एफ एम एस को एस टी क्यू सी से आवश्यक निष्पादन एवं गुणवत्ता प्रमाणन के बिना ही लागू कर दिया गया।

(प्रस्तर 4.2.1, पृष्ठ 42)

- आई एफ एम एस में, डी डी ओ का पंजीकरण उनके व्यक्तिगत ई-मेल आई डी के आधार पर किया गया था जिसके कारण सुरक्षा जोखिम सम्भावित था।

(प्रस्तर 4.2.2(i), पृष्ठ 43)

- आई एफ एम एस के परिचालन के तीन वर्ष के पश्चात भी विभाग द्वारा बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण को लागू नहीं किया था।

(प्रस्तर 4.2.2(iv), पृष्ठ 44)

- लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र के अभाव में आई एफ एम एस की नेटवर्क सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

(प्रस्तर 4.2.2(v), पृष्ठ 45)

- परिचालन के चार वर्ष के पश्चात भी आई एफ एम एस के लिए बिज़नेस कंटीन्यूटी प्लान तैयार कर अपनाया नहीं गया था। इसकी अनुपस्थिति में कर्मचारी/ उपयोगकर्ता, व्यवधान/ आपदाओं की स्थिति में पालन की जाने वाली प्रक्रिया से अनजान थे।

(प्रस्तर 4.2.3, पृष्ठ 45)

- उत्तराखण्ड के भूकम्पीय क्षेत्र IV में होने के बावजूद भी विभाग द्वारा कोई कार्यात्मक डिज़ास्टर रिकवरी (डी आर) साइट स्थापित नहीं की गयी थी। कार्यात्मक डी आर साइट के अभाव में, आपदाओं की दशा में आई एफ एम एस की व्यवसायिक निरंतरता को जोखिम था।

(प्रस्तर 4.2.4, पृष्ठ 45)

- प्रलेखित नीतियों के अभाव में उपयोगकर्ता अपने तरीके से सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दों को सँभालने के लिए स्वतंत्र थे जो कि आई एफ एम एस की आई टी सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकते थे।

(प्रस्तर 4.2.7, पृष्ठ 48)

लेखापरीक्षा क्या अनुशंसा करता है?

1. किसी भी वेंडर लॉक-इन स्थिति से बचने के लिए विभाग द्वारा वेंडर से तकनीकी दस्तावेजों की प्रदेयता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
2. विभाग द्वारा आई एफ एम एस के काम-काज के अनुरूप वित्तीय नियमों/संहिताओं को अद्यतन करने की प्रक्रिया में तेज़ी लानी चाहिए।
3. विभाग द्वारा आई एफ एम एस में लागू प्रमुख प्रक्रियाओं जैसे लेखों में संशोधन, असफल भुगतानों के संचालन इत्यादि हेतु मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जानी चाहिए।
4. विभाग द्वारा आई एफ एम एस को ई-ऑफिस के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए, ताकि स्वीकृति आदेश स्वचालित रूप से अपलोड किए जा सकें।
5. विभाग द्वारा आई एफ एम एस के माध्यम से प्राप्ति एवं संशोधित अनुमानों को प्रेषित करने के लिए आई एफ एम एस में कार्यक्षमता लागू की जानी चाहिए।
6. बजट डेटा प्राप्त करने और इसे स्वचालित रूप से प्रसंस्करण करने हेतु विभाग द्वारा आई एफ एम एस को बजट विभाग के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।
7. विभाग द्वारा बी सी पी तैयार किया जाना चाहिए एवं डी आर साइट स्थापित की जानी चाहिए, ताकि प्रणाली के सुचारू रूप से संचालन एवं आपदाओं और अन्य आपातकालीन घटनाओं की स्थिति में निश्चित समय अवधि के भीतर पुन: संचालन को सुनश्चित किया जा सके।
8. विभाग द्वारा आई एफ एम एस में अवशेष डी डी ओ के लिए सरकारी ई-मेल आई डी बनाने तथा अद्यतन करने की प्रक्रिया में तेज़ी लानी चाहिए।
9. विभाग द्वारा नियमित आधार पर बैकअप पुनर्स्थापना गतिविधि की समीक्षा और परीक्षण किया जाना चाहिए, ताकि अनजाने में नष्ट हो जाने अथवा खो जाने पर डेटा को पुनर्स्थापित किया जा सके।
10. विभाग द्वारा आई टी परिसम्पत्तियों, सॉफ्टवेयर और डेटा, बैकअप, डेटा रिटेंशन और डिस्पोजल इत्यादि की सुरक्षा हेतु एक आई टी सुरक्षा नीति तैयार की जानी चाहिए।